



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2015/फाल्गुन 5, 1936

No. 113]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2015/PHALGUNA 5, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 121(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 123 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) (संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. तारीख 12 जून, 2014 की सा.का.नि. संख्या-397(अ), के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) संशोधन नियम, 2014 में “अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित पाद टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“**पाद टिप्पण**—मूल नियम सा.का.नि. 241(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।”

[फा. सं.-1/31/2013-सीएल-V-पार्ट]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम सा.का.नि. 241(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्तवर्ती अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ), तारीख 12 जून, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2015

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 123 read with Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Declaration and Payment of Dividend) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Amendment Rules, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. No. 397(E), dated the 12th June, 2014, after the words “AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.”, the following Foot Note shall be inserted, namely :—

“Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2014.”

[F. No. 1/31/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended by notification number G.S.R. 397(E), dated the 12th June, 2014.